RajKaj Ref No.: 13259438

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी **(NIA BAJRI 01)**/2025/ई–10015

आवेदन–पत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय–III नियम 12(5)(ii) के अन्तर्गत राज्य के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में खनिज बजरी के निम्नाकिंत आरक्षित प्लॉटों हेतु नियम 12B के प्रावधान अनुसार आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। डोमिसाईल शिड्यूल ट्राईब के व्यक्तियों की रजिस्ट्रर्ड सोसायटी नियमानुसार दिनांक 20.02.2025 तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट कमांक:	खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खनिज बजरी की वार्षिक उपलब्ध मात्रा (टन में)	न्यूनतम प्रिमियम राशि	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है, विज्ञप्ति के साथ संलग्न है तथा विशेष विवरण
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	**खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 01 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)**	गैर मुमकिन नदी	वासड़ा	आबूरोड़	सिरोही	86.979	352264.00	3479160	20.02.2025	एनेक्शर–1
2	**खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 04 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)**	गैर मुमकिन नदी	सांतपुर, रेवड़ाकला चन्द्रांवती,	आबूरोड़	सिरोही	68.7576	92823.00	2750320	20.02.2025	एनेक्शर–2
3	**खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 05 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)**	गैर मुमकिन नदी	सांतपुर, क्यारिया, गुणका, दुनाकाकर	आबूरोड़	सिरोही	91.0313	147471.00	3641280	20.02.2025	एनेक्शर–3
4	**खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 06 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)**	गैर मुमकिन नदी,	पाडुंरी, मोरथला	देलदर, आबूरोड़	सिरोही	72.2029	194947.83	2888120	20.02.2025	एनेक्शर–4
5	**खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 07 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)**	गैर मुमकिन नदी,	किवरली, पांडूरी	देलदर	सिरोही	68.3083	230540.51	2732360	20.02.2025	एनेक्शर–5

RajKaj Ref No.: 13259438

6	खनि अभियंता, सिरोही प्लॉट क्रमांक 08 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	गैर मुमकिन नदी,	किवरली, आमथला	देलदर	सिरोही	41.8454	133959.096	1673840	20.02.2025	एनेक्शर–6

(अ) महत्वपूर्ण बिंदू:–

1 विज्ञप्ति में वर्णित प्लाटों पर खनन पट्टों की आवंटन की अवधि संविदा पंजियन दिनांक से 05 वर्ष के लिये होगी।

2 आंवटित किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाऐं उपरोक्त तालिका में कॉलम संख्या 11 पर अंकित एनेक्चर अनुसार है। उक्त सुचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। उक्त प्लॉटों हेतु जहॉ है, जैसे है के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे है। आवेदक सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत् आवेदक पूर्ण रूप से आवेदन लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।

3 आवेदनकर्ता डोमिसाईल शिड्यूल ट्राईब के व्यक्तियों की रजिस्ट्रर्ड सोसायटी को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रस्तुत करना होगा, आवेदन में वर्णित सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4 आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि तक आवेदन कर्ता को आवेदन मय सम्बन्धित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति तथा मूल शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज मूल ही निदेशालय के नीलामी प्रकोष्ठ में प्रस्तुत किये जाने होंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा अपूर्ण आवेदन मान्य नहीं होगें।

5 यदि एक प्लॉट हेतु दो से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसे प्लॉट का आवंटन ई–नीलामी के माध्यम से होगा।

6 खनन पट्टों की ई–नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि खननपट्टा अवधि में केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किश्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किश्त (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई–ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होगी, द्वितीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व, तृतीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में व अंतिम किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होगी। उक्त प्रिमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।

7 यदि किसी प्लॉट हेतु डोमिसाईल शिड्यूल ट्राईब के व्यक्तियों की रजिस्ट्रर्ड सोसायटी का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे प्लॉट को डोमोसाईल शिड्यूल ट्राईब श्रेणी के आरक्षण को समाप्त किया जाकर अनारक्षित प्लॉट की तरह आमजन को खुली ई–नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जायेगा।

8 खननपट्टे का आंवटन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।

9 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

10 विज्ञापित प्लॉट राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 11(1) के प्रावधानों के अनुसार Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in Their Application to the Schedule Areas), Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) के अनुसार पंचायती राज संस्थान के सक्षम स्तर से पूर्व अनुशंषा प्राप्त करने के उपरान्त ही उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति किया जायेगा।

द शासन के पत्र क्रमांक प.20(8)खान/ग्रुप–2/2023 पार्ट दिनांक 07–10–2023 से खनिज बजरी के खननपट्टें आंवटन की प्रकिया एवं मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) जारी की गई है। मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) में वर्णित बिन्दुओं की तथा उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधन अनुसार पालना खनन पट्टाधारी को अनिवार्य रूप से करनी होगी:–

1 प्लॉट के क्षेत्र में लीजधारक द्वारा नदी के किनारों से भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़ते हुए खनन कार्य किया जावेगा।

2 लीज धारक नदी के 2 किलोमीटर परिधि में दो स्टॉक स्थल का चयन करेगा जिस पर खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त कर नियमानुसार बजरी स्टॉक करेगा। स्टॉक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, खनिज का आवक–जावक रजिस्टर व वे–ब्रिज स्थापित करेगा। स्टॉक स्थल पर एन्ट्री व एक्जिट पॉईन्ट अलग–अलग होंगे।

3 जिन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा वे–ब्रिज स्थापित/अधिकृत किये जायेंगे, उन क्षेत्रों में राज्य सरकार के स्थापित/अधिकृत निकटतम तीन तुलाई यंत्रों में से किसी एक पर ही बजरी वाहनों का वजन तथा रवन्नाconfirm कराया जाना आवश्यक होगा।

RajKaj Ref No.: 13259438

4 जिन प्लॉटों में नदी क्षेत्र में बजरी की मात्रा आनुपातिक रूप से कम है (जैसे नदी के उद्गम के बाद से बहाव क्षैत्र की शुरूआती दूरी), ऐसे क्षेत्रों में बजरी खनन के लिए एच.ई.एम.एम. मशीन द्वारा खनन प्रतिबंधित रहेगा एवं ऐसे प्लॉटों में मैन्युवल माईनिंग का प्रावधान रखा जावेगा।

5 लीजधारक खनिज बजरी का चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत राज्य सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली रॉयल्टी की 4 गुना होगी, जिसमे रॉयल्टी, डी.एम.एफ.टी, आर.एस.एम.ई.टी अन्य समस्त कर एवम् लोडिंग सम्मिलित होगी जो समय–समय पर रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन होने पर समानुपातिक रूप से परिवर्तनशील रहेगी एवं तद्नुसार चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर बेचान की अधिकतम कीमत का पुनः निर्धारण किया जा सकेगा। बजरी की बेचना की अधिकतम कीमत में नदी से बजरी की भराई, बजरी का नदी से स्टॉक स्थल पर परिवहन तथा स्टॉक स्थल से बजरी की पुनः भराई की लागत सम्मिलित है। निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पर खनिज बजरी का विक्रय चिन्हित (अनुमोदित) स्टॉक पर नहीं किया जा सकेगा।

6 पट्टाधारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना/पर्यावरण स्वीकृति व अन्य स्वीकृतियों में वर्णित शर्तो के अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी का खनन किया जावेगा। अनियमितता होने की स्थिति में नियमानुसार खनन पट्टे में जमा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जावेगा।

7 खनन पट्टा धारक द्वारा खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अन्य न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय.समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।

8 गैर–मुमकिन नदी नालों के क्षेत्रों में जहां पर किसी भी विभाग द्वारा अन्य कार्यों यथा पेटा काश्त या अन्य किसी प्रयोजनार्थ व्यक्ति/संस्था को अनुमति दी गई है/आवंटित की हुई है तो ऐसे क्षेत्रों में खनन पट्टाधारक संबंधित व्यक्ति/संस्था (जिसके पक्ष में अनुमति दी हुई है/आवंटित है) की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनिज बजरी का दोहन कर सकेगा।

9 खनन पट्टा धारक गैर–मुमकिन नदी–नाला क्षेत्रों में गिरने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र जेसे शमशान, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कुएं, से 45 मीटर की परिधि में, सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर तथा अन्य किसी वन विभाग या अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन कार्य नहीं कर सकेगा। खनन पट्टाधारक समय–समय पर जारी निर्देशों/पर्यावरण अनुमति में अनुमत गहराई, जो भी कम हो, तक खनन कार्य सीमित रखेगा।

10 खनन पट्टा धारक द्वारा क्षेत्र में कोई स्ट्रक्चर जो कि अवरूद्ध करता हो, नहीं बनायेगा। खनन कार्य हेतु उपयुक्त गहराई की बैंचेज बनानी होगी। खनन कार्य हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों तथा सेंड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार किया जावेगा।

11 खनन पट्टा धारक खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कार्य नहीं करेगा।

12 खनन पट्टा धारक द्वारा बजरी खनन कार्य सतह से 3 मीटर से अधिक गहराई पर एवं नदी–नालों के वाटर लेवल से नीचे नहीं किया जायेगा तथा रेल/सड़क पुल के 45 मीटर की परिधि में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

13 खनन पट्टा धारक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में जगह–जगह माइनिंग नहीं की जावेगी।

14 खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी की माइनिंग नदी के बीच में डाउन स्ट्रीम के बीच में आधा मीटर मोटाई की स्लाईस में की जा सकेगी। नदी की गहराई पर मिट्टी की सतह पर 1.5 मीटर ऊपर बजरी छोड़नी होगी।

15 नदी के दोनों किनारों पर FAUNA & FLORA को संरक्षित रखना होगा।

16 जिन स्थानों पर बजरी का खनन कार्य किया जा चुका है, उन स्थानों को नदी में उपलब्ध भराव से ही समतल करके पाट दिया जावेगा। इसके लिए बाहर का कोई कचरा/मलबा नहीं डाला जा सकेगा।

17 नदी क्षेत्र में खनन कार्य इस प्रकार किया जावेगा कि आस–पास पौधारोपण पुनः पनप सकें। खनन क्षेत्र के आसपास स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का पौधारोपण किया जावेगा। जो रास्ते अनुपयोगी हैं, उनको स्थानीय प्रजाति के पौधों से वृक्षारोपण किया जावेगा।

18 नदी / नालों का एवं इनके आसपास जो नहरें बनी हुई है उनका प्रवाह बाधित नहीं किया जावेगा तथा उनके किनारों का समुचित रख रखाव किया जावेगा।

19 प्रदेश में मानसून प्रारम्भ व समाप्ति की अवधि 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होगी। पट्टेधारी को मानसून अवधि में दो माह खनन कार्य खनन पट्टा क्षेत्र में बंद रखना होगा। इस अवधि में पट्टेधारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11–11–2021 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार नदी नालों से 2 किमी. की परिधि में अधिकतम तीन स्थान (location) अनुमत करा भण्डारण कर निर्गमन करने की अनुमति दी जायेगी।

20 खननपट्टाधारी द्वारा Central Empowered Committee द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के पैरा संख्या 11(III) तथा MoEF&CC द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand, 2020 की पालना की जानी होगी।

21 पट्टेधारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अधिशुल्क निर्धारण करवाना होगा।

22 पट्टेधारी द्वारा नियमानुसार अधिशुल्क राशि का दस प्रतिशत राशि के बराबर डी.एम.एफ.टी.) राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सपलोरेशन ट्रस्ट नियम, 2020 के नियम 8 के उप–नियम 3 के अंतर्गत आर.एस.एम.ई.टी. व अन्य देय राशि जमा करानी होगी।

23 पट्टाधारी को खनिज बजरी के खनन/निर्गमन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य न्यायालयों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही खनन कार्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जन सुविधाओं के संबंध में वर्तमान में प्रभावी अधिनियम/नियमों तथा समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।

24 खनिज बजरी के खनन के दौरान निकलने वाला खनिज ग्रेवल/बोल्डर्स का प्रत्येक एक कि0मी0 के बाद इकट्ठा किया जाकर उसकी दीवार इस प्रकार बनाई जावेगी कि पानी का बहाव अवरूद्ध न हो।

(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक

RajKaj Ref No.: 13259438

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(**NIA BAJRI 01**)/2025/ई–10015

प्रतिलिपि :–

1– नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2 – नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

3– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

अ– अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब – अधीक्षण खनि अभियंता – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स – खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी–I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द–I/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/ डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

द –सहायक खनि अभियन्ता, टोंक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर/खेतड़ी।

(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक

Signature Not Verified

Digitally Signed by Bhagwati Prasad Kalal
Designation : Director
Date :28-01-2025 07:23:23